# Sub Registry Office,Darbhanga

## Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 1611

RTPS No.:- 28343

चूँकि श्री CHANDRA NATH JHA ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय। एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/1991 से ता० 01/10/2021 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है–

| क्रम संख्या | कार्यालय | अंचल | मौजा | वार्ड नं० | खाता | खेसरा | रकबा | दस्तावेज का प्रकार | मूल्य | जिल्द संख्या | पृष्ठ से | पृष्ठ तक | वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darbhanga Sadar | Haveli katrahiya | | n/a | 91 | | 20.01 decimal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।
निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–

नाम –Ram Krishna Thakur
Record Keeper

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :–

नाम –Kapil Kumar Chaudhary
O.S

कार्यालय – **Sub Registry Office, Darbhanga** तारीख – **07-10-2021**

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है तथा इसपर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं।

टिप्पणी–

1. ☐ इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पतियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगें।)

2. ☐ निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।

3. ☑ किन्तु चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4. ☐ और चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:– .1611 दिनांक:– 04/10/2021

शाखा प्रबंधक State Bank of India के पत्र दिनांक 04/10/2021 के आलोक में प्रेषित।

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है तथा इसपर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं।

Scanned with CamScanner